रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-28042026-272136
CG-KA-E-28042026-272136

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2047] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2026/वैशाख 8, 1948
No. 2047] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 2026/VAISAKHA 8, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

हुब्बल्ली, 23 अप्रैल, 2026

रेल अधिनियम, 1989 (संशोधन अधिनियम, 2008) की धारा 20A के अंतर्गत सूचना

का.आ. 2120(अ).— रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार का, यह समाधान हो जाने पर कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेल परियोजना, अर्थात् कर्नाटक राज्य में "कामसमुद्रम और बिसनत्तम स्टेशनों के बीच कि.मी. 273/100-200 पर समपार सं. 112 के स्थान पर सड़क उपरि पुल (आरओबी) का निर्माण (कामसमुद्रम गाँव, बांगरपेट तालुक, कोलार जिला)" के निष्पादन हेतु अपेक्षित है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है:

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आक्षेप कर सकेगा:

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रभारी भू-अर्जन अधिकारी, सहायक आयुक्त, कोलार एवं प्रादेशिक आयुक्त, बेंगलुरु को कर्नाटक राज्य में "कामसमुद्रम और बिसनत्तम स्टेशनों के बीच कि.मी. 273/100-200 पर समपार सं. 112 के स्थान पर सड़क उपरि पुल (आरओबी) का निर्माण (कामसमुद्रम गाँव, बांगरपेट तालुक, कोलार जिला)" हेतु लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा:

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा: इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूमि प्लान और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

क्रम संख्या	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्याएँ	भाग	ए-जी-ए में क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	कामसमुद्रम	33	33/*/xx	0-1-2	0.0284
			33/*/2	0-1-10	0.0146
2	कामसमुद्रम	39	39/*/2A	0-4-8	0.1220
3	कामसमुद्रम	40	40/*/2	0-0-4	0.0095
4	कामसमुद्रम	28	28/*/2	0-1-5	0.1315
5	कामसमुद्रम	85	26/*/*	0-9-7	0.0778
	कुल			0-18-4	0.1588247

[फा. सं. दपरे/W352/आरएसपी/भूमि-112/2026]

निंगप्पा चंदप्पा चालुवाडी, उप मुख्य अभियंता

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Western Railway)

NOTIFICATION

Hubballi, the 23rd April, 2026

Notice under Section 20A of the Railways Act-,1989 (Amendment Act, 2008)

S.O. 2120(E).— In exercise of the powers conferred by sub- Section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, namely. "Construction of ROB in lieu of LC No.112 at Km: 273/100-200 between Kamasamudram and Bisanattam stations (Kamasamdram village, Bangarpet taluk , Kolar district)" in the State of Karnataka, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Incharge Land Acquisition Officer ie Assistant Commissioner Kolar and Regional Commissioner, Bengaluru for "Construction of ROB in lieu of LC No.112 at Km: 273/100-200 between Kamasamudram and Bisanattam stations (Kamasamdram village, Bangarpet taluk , Kolar district)" in the State of Karnataka" in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such

objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections:

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final:

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid Office of the competent authority.

SCHEDULE

Sl. No.	**Name of the Village**	**Survey Nos.**	**Part**	**Area in A-G-A**	**Area in Hectare**
1	Kamasamdram	33	33/*/xx	0-1-2	0.0111731
			33/*/2	0-1-10	0.0063245
2	Kamasamdram	39	39/*/2A	0-4-8	0.0356061
3	Kamasamdram	40	40/*/2	0-0-4	0.002599
4	Kamasamdram	28	28/*/2	0-1-5	0.013012
5	Kamasamdram	85	26/*/*	0-9-7	0.09011
	TOTAL			**0-18-4**	**0.1588247**

[F. No. SWR/W352/RSP/Land-112/2026]

NINGAPPA CHANDAPPA CHALUWADI, Dy.Chief Engineer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA